



अध्यापक, जिला उद्योग (राज.)

जिला उद्योग

<p>अर्थात् 11979 वर्गमीटर दर्ज हुई है। अर्थात् 2179 दर्ज हुआ प्रतिवादीगण के नाम मालत दर्ज हुआ होना बताया है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण मौजा धुलैव की आ. न. 2179, 2180, 2181 को किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण नहीं करे। न ही खूद खूद करे। असल वाद के निर्णय तक मौजा तथा रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पटवारी हल्का एवं तहसीलदार को भी इस आशय से पाबंद किये जाते है कि भूमि का राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का इन्दाज असल वाद से निर्णय तक नहीं करे।</p> <p>निर्णय से द्वारा लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर असल वाद के साथ संलग्न हो।</p>	
--	--